कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा/अ–3/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2018/69 दिनांक : 06/03/2018

(1) समस्त मण्डल उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा

महत्वपूर्ण

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

अत्यावश्यक

विषयः– बोर्ड परीक्षा – 2018 में गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर का पत्रांक : परीक्षा प्रथम/सैल–8/2018/26902–26943 दिनांक : 24.02.2018

संदर्भः– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य बोर्ड परीक्षा के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण क्रमांक : प.3(7)शिक्षा–6/2018, जयपुर, दिनांक : 31.01.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 28.02.2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा – 2018 के सुचारू आयोजन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। संदर्भांकित बैठक में बोर्ड परीक्षाओं में निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने पर विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के कम में लेख है कि राजकीय तथा प्राइवेट विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलाकर बैठक व्यवस्था की जाए । जिन परीक्षा केन्द्रों पर गैर – सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं ,उन परीक्षा केन्द्रों पर जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि को केन्दों पर लगाया जा सकेगा, किन्तु यह ध्यान रखा जाए कि जिस विद्यालय के छात्र परीक्षा केन्द्र पर प्रविष्ट हो रहे हैं, वहां उसी विद्यालय का प्रतिनिधि नही लगाया जाए। उक्त प्रतिनिधि सहायक समन्वयक के तौर पर कार्य करेंगे तथा इन्हे बोर्ड नियमानुसार मानदेय देय होगा ।

उक्त सहायक समन्वयक का परीक्षा कक्षों में प्रवेश वर्जित रहेगा । ये केवल बरामदे एवं बाहरी विद्यालय परिसर तक ही उपस्थित रह कर परीक्षा व्यवस्थाओं में मात्र सहयोग कर सकेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किए जाने वोल प्राइवेट विद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम व मोबाईल नं. की सूची सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बोर्ड को भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिस केन्द्र पर केवल राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं, वहां ऐसे प्रतिनिधि नहीं लगाए जाएंगे। (उक्त व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर केवल इसी वर्ष रहेगी, जिस पर बाद में समीक्षा उपरान्त पुनः निर्णय लिया जाएगा)।

यह ध्यान रखा जाए कि सहायक समन्वयक के रूप में वर्तमान में निजी विद्यालयों में कार्यरत उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाए, जो शिक्षक "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 तथा नियम–1993" के तहत चयनित एवं राजकीय नियमानुसार निर्धारित योग्यता धारी हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

2 निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा , राजस्थान, बीकानेर ।

3 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

4 समस्त जिला कलक्टर ।

5 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ।

6 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

7 समस्त मण्डल उप निदेशक, प्रारंम्भिक शिक्षा ।

8 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक–प्रथम/द्वितीय ।

9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब – साईट पर अपलोड करने हेतु ।

10 वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।

11 स्टाफ ऑफिसर , कार्यालय हाजा ।

12 रक्षित पत्रावली ।

www.rajteachers.com

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर